दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय पारित: 21.10. 2024

जमानत आवेदन 3985/2023

आकाश तंवर ..... आवेदक

बनाम

दिल्ली राज्य और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

रि.या.(आप.) 1350/2024

आकाश तंवर ..... आवेदक

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा थानाध्यक्ष, थाना फतेहपुर बेरी और अन्य

....प्रत्यर्थीगण

इस मामले में उपस्थित हुए अधिवक्तागण:

आवेदक के लिए	:श्री सुमित मिश्रा, श्री अंकित सिवाच, श्री कपिल तंवर तथा श्री पवन गुप्ता अधिवक्तागण।
प्रत्यर्थी के लिए	:श्री अमोल सिन्हा, अति.स्था.अधि. (आप.), के साथ श्री क्षितिज गर्ग, राज्य के लिए अधिवक्ता।

श्री रूपाली बंधोपाध्याय, अति.स्था.अधि. (आप.) के साथ, श्री अभिजीत कुमार, राज्य के लिए अधिवक्ता।

सुश्री के. एनटोली सीमा, श्री अमित कुमार सिंह, श्री प्रांग नुमाई और सुश्री चुबलेमला चांग, प्र.-2 के अधिवक्ता।

उप.नि. सचिन पंवार (थाना फ़तेहपुर बेरी)।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

निर्णय

जमानत आवेदन 3985/2023

1. वर्तमान आवेदन भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 153क/153ख/505(1) और (2) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ('**एस.सी./एस.टी. अधिनियम**') की धारा 3(1)(द)/(ध)/(प) के तहत अपराधों के लिए दीमापुर थाना में दिनांक 28.08.2023 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 69/2023 में जमानत देने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

संक्षिप्त तथ्य

2. संक्षेप में कहा गया है कि प्राथमिकी में आरोप आवेदक द्वारा कथित रूप से सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट से उत्पन्न हुआ है, जिसमें धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य को भड़काने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लक्षित करने का दावा किया गया है।

3. दिनांक 18.11.2023 को नागालैंड पुलिस ने आवेदक को नई दिल्ली में उसके आवास से गिरफ्तार किया। आवेदक को ट्रांजिट रिमांड के लिए विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, दक्षिण, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली ले जाया गया। हालांकि, न्यायालय ने ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया और इसके बजाय आगे की कार्यवाही लंबित रहने तक 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

4. यह आरोप लगाया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का पालन न करने के कारण आवेदक की गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

5. आवेदक/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नागालैंड पुलिस द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि यह दं.प्र.सं. की धारा 41क का

उल्लंघन करता है, जो उन मामलों में आरोपी को नोटिस देने का आदेश देता है जहाँ कथित अपराध के लिए सात साल से कम कारावास की सजा होती है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और इस प्रकार गिरफ्तारी ***अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य :*** **(2014) 8 एस.सी.सी. 273** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

6. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी में आरोप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आधारित हैं और आवेदक ने पुलिस अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है। उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।

7. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक नगालैंड में सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय से संपर्क करने में सक्षम होने के लिए पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) का हकदार है।

8. यह भी कहा गया है कि आवेदक के भागने का खतरा नहीं है तथा वह आवारा पशुओं के कल्याण में लगे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में गहरी पैठ रखता है।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है और उन्होंने रि.या. (आप.) 1350/2024 को इस आधार पर अभिखंडित करने की मांग की गई है कि यह कोई मामला नहीं बनता है। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता आकाश तंवर दिल्ली का निवासी है और कथित अपराध—एक इंस्टाग्राम पोस्ट—उस समय किया गया था जब वह दिल्ली में रह रहा था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद हेतुक काफी हद तक दिल्ली में उत्पन्न हुआ, जहाँ याचिकाकर्ता रहता था और प्रश्नगत सामग्री पोस्ट किया था।

10. उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि पोस्ट कथित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई थी, जो साइबर स्पेस में संचालित होती है – नागालैंड में इस पोस्ट की पहुंच स्वतः वहां के अधिकारियों को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है। याचिकाकर्ता ने ***नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य : (2000) 7 एस.सी.सी. 640,*** मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय किसी प्राथमिकी को अभिखंडित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है यदि वाद हेतुक का एक बड़ा भाग इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो। इस नजीर के आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास

प्राथमिकी को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि कथित अपराध की उत्पत्ति दिल्ली में हुई थी।

11. इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नागालैंड में प्राथमिकी दर्ज करना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग और उत्पीड़न का कार्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता का नागालैंड राज्य से कोई संबंध नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी केवल इसलिए दर्ज की गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता, जो नागालैंड में रहता है, सामग्री से नाराज था, भले ही पोस्ट करने का कार्य दिल्ली में हुआ था।

12. उन्होंने कहा कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(द), 3(ध) और 3(प) के तहत अपराध वर्तमान प्राथमिकी में गलत तरीके से लगाए गए हैं और मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की कथित सोशल मीडिया पोस्ट विशेष रूप से या जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या समुदाय को लक्षित नहीं करती है जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के अंतर्गत आता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि अभियुक्त ने इन समुदायों के किसी सदस्य को उनकी जाति या जनजातीय पहचान के कारण अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित किया हो। इस

मामले में, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता का पोस्ट सामान्य प्रकृति का था और इसमें किसी विशेष व्यक्ति की जाति या जनजाति का उल्लेख नहीं था।

13. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए शब्दों की प्रतिलिपि/वीडियो के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने भारत सरकार या नागालैंड राज्य द्वारा अधिसूचित किसी भी अनुसूचित जनजाति का नाम नहीं लिया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(द), 3(ध) और 3(प) के तहत अपराधों के लिए अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अस्तित्व या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देने का कार्य आवश्यक है और वर्तमान मामले में दोनों का अभाव है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा कहे गए शब्दों को एस.सी./एस.टी. अधिनियम के दायरे में लाने के लिए *'नागा'* शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता है और यह विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा अपशब्द *'चिंकी'* का उपयोग और अनुसूचित जनजाति *'नागा'* नाम देने का झूठा आरोप लगाया गया है। विषयगत वीडियो को, जब इसके पूरे संदर्भ में देखा गया, तो यह स्पष्ट होता है कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई भी अत्याचार करने के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित जनजाति का नाम नहीं लिया गया है। उन्होंने

प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक रूप से या अन्यथा, जाति का उल्लेख किए बिना केवल अपमानजनक भाषा या अपमानजनक टिप्पणी करना एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस सिद्धांत को लागू करके, एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत प्राथमिकी असंधार्य है, क्योंकि कथित पोस्ट अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक विधिक मानकों को पूरा नहीं करती है। ***(संदर्भः हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्यः*** **(2020) 10 एस.सी.सी. 710)**

15. उन्होंने आगे तर्क दिया कि भा.दं.सं. की धारा 153-क के तहत आपराधिक मनःस्थिति या अव्यवस्था फैलाना या हिंसा भड़काने का इरादा, अपराध स्थापित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है और इस तरह के इरादे को अभियोजन पक्ष द्वारा शुरू में ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में विधि और व्यवस्था, लोक शांति या सौहार्द में कोई व्यवधान या गड़बड़ी का कोई संकेत भी नहीं था, क्योंकि आवेदक ने केवल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसे 24 घंटे के भीतर हटा दिया गया था। नतीजतन, बिना किसी गंभीर परिस्थितियों के केवल शब्दों की अभिव्यक्ति भारत सरकार के लिए खतरा नहीं है, न ही यह समूहों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को भड़काता है।

16. उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट चलाता है जो 'अलाभकारी संगठन' के रूप में सूचीबद्ध है और उसने कुत्तों सहित विभिन्न जीवों की सुरक्षा/कल्याण के लिए जागरूकता का प्रदर्शन/प्रसार करने वाले 1800 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड किए हैं। इस संदर्भ में, आवेदक ने इस इंस्टाग्राम वीडियो में नागालैंड राज्य में कुत्तों के खिलाफ स्पष्ट दुर्व्यवहार/क्रूरता दिखाने वाले शब्द कहे थे, इसलिए किसी भी समूह/वर्ग के व्यक्तियों का उल्लेख नहीं करते हुए, आवेदक ने केवल उन व्यक्तियों की ओर इशारा किया जो कुत्तों के खिलाफ क्रूरता के ऐसे कृत्य करते हैं।

17. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूरी तरह से जानता है कि नागालैंड भारत का एक अभिन्न अंग है, और वीडियो में इस्तेमाल किया गया शब्द "चीनी लोग" चीनी मूल के व्यक्तियों (चीन जनवादी गणराज्य के नागरिक) को संदर्भित करता है जो कथित रूप से नागालैंड में रह रहे हैं और भारत में ऐसे कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अभिव्यक्ति की, तथ्यात्मक रूप से विवादास्पद होने के बावजूद और नागालैंड की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं से अनभिज्ञ होने के बावजूद, भारत के नागरिकों के खिलाफ़ अपमान या अपमानजनक बयान के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है।

18. उन्होंने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक के पास भारत के किसी भी समुदाय या नागरिक के खिलाफ शत्रुता या घृणा भड़काने का कोई कारण था। शब्दों को जब वीडियो के व्यापक संदर्भ और इसके निर्माण के आसपास की परिस्थितियों में देखे गए हैं, तो अव्यवस्था या हिंसा को भड़काने के किसी भी जानबूझकर प्रयास करने को इंगित नहीं करते हैं। इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 153-क के तहत अपराध के लिए आवश्यक तत्व आपराधिक मनःस्थिति का इस मामले में आभाव है।

19. उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदक, 10.05.2023 को वीडियो अपलोड करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा था। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक के स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार को केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के आधार पर कम किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो, संक्षेप में, भारत के कुछ हिस्सों में कुत्तों पर की जाने वाली क्रूरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास था और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता पशु क्रूरता से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के अपने अधिकारों के भीतर था, और इस तरह के बयान राष्ट्र की एकता या

अखंडता के लिए खतरा नहीं हैं, और न ही वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत सूचीबद्ध अपवादों के अंतर्गत आते हैं।

20. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी ने समझौता किया है और दिनांक 24.04.2024 के निपटान विलेख के द्वारा अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है।

21. इसके विपरीत, नागालैंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ राज्य के विद्वान अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने जमानत देने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इसमें एस.सी./एस.टी. अधिनियम के तहत प्रावधान शामिल हैं, जो कड़ी सजा निर्धारित करता है।

22. प्रतिवादी सं.2/नागालैंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा बनाया गया वीडियो सीधे नागालैंड के लोगों को लक्षित करता है और नागा लोगों की भोजन की आदतों पर अत्यधिक आपत्तिजनक और भेदभावपूर्ण तरीके से टिप्पणी करके समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करता है।

23. यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को पुलिस स्टेशन दीमापुर पश्चिम के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाली न्यायालय का रुख करना चाहिए। (संदर्भः ***प्रिया इंदोरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*** **: 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1484**)

24. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पहले से ही अंतरिम राहत का लाभ उठा रहा है और हिरासत में नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, नियमित जमानत देने की प्रार्थना पोषणीय नहीं है।

25. अंत में, नागालैंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ***रामावतार बनाम मध्य प्रदेश राज्य*** **: (2022) 13 एस.सी.सी.** 635 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के संदर्भ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे की जांच करते हुए कहा कि न्यायालय को अपने दृष्टिकोण में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमान, अनादर और उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत की कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता केवल एक मुखबिर है, और इसलिए कथित अपराध पर *व्यक्तिगत रूप से* विचार नहीं किया जा सकता है, बल्कि व्यापक सामाजिक निहितार्थ से संबंधित है।

<u>विश्लेषण</u>

26. इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वर्तमान जमानत आवेदन 21.11.2023 को दायर किया गया था। नागालैंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि इसके तहत जमानत आवेदन पर विचार करने के लिए, यह आवश्यक है कि आवेदक न्यायिक हिरासत में हो, और जब तक आवेदक आत्मसमर्पण नहीं करता है, जमानत आवेदन पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। आवेदक को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 18.11.2023 पर पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) की अंतरिम राहत दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2023 के आदेश द्वारा आगे बढ़ाया गया।

27. भारत में आपराधिक कानून व्यवस्था की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो विभिन्न राज्य-विशिष्ट संशोधनों से जुड़ी हुई है, न्यायालयों को क्षेत्रीय सीमाओं के पार जमानत देने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय फोरम शॉपिंग की संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अंतरराज्यीय गिरफ्तारियों में उच्च न्यायालय असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती हैं, विशेष रूप से तब जब अभियुक्त उस क्षेत्राधिकार के बाहर रहता हो या स्थित हो जहाँ अपराध दर्ज किया गया था। आम तौर पर, जमानत देने की शक्ति न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक सीमित होती है, और उस शक्ति को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत की अवहेलना करके हड़पा नहीं जा सकता है। यह कहने

के बाद, इस बात पर भी जोर देना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता की रक्षा करने और तत्काल गिरफ्तारी से बचने के लिए इस न्यायालय द्वारा अस्थायी राहत प्रदान की जा सकती है।

28. ***सुशीला अग्रवाल बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली*** **: (2020) 5 एस.सी.सी.** 1 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'पारगमन अग्रिम जमानत' और 'अंतरिम संरक्षण' के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(घ) के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को दांडिक न्याय के प्रशासन की मौलिक योजना के साथ संतुलित करता है, जैसा कि दं.प्र.सं. में निर्धारित किया गया है। पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) के रूप में अंतरिम संरक्षण का उद्देश्य अभियुक्त को उस उपयुक्त न्यायालय का रुख करने की अनुमति देना है जिसके पास मामले पर अधिकार क्षेत्र है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऐसे समय में जब नागरिक की आवाजाही लगातार और तेज होती जा रही है, एक अपराधी को किसी राज्य में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में भी गिरफ्तारी का डर हो सकता है, भले ही अपमानित व्यक्ति किसी अन्य राज्य में रह रहा हो।

29. इसके अलावा, ***प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी आरोपी

को पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) दी जा सकती है ताकि वह उस राज्य में उपयुक्त न्यायालय का रुख करने में सक्षम हो सके जहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उक्त मामले में, यह देखा गया कि पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) की अवधारणा न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है और अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, विशेष रूप से जब अभियुक्त उस राज्य से अलग राज्य में रह रहा हो जहाँ प्राथमिकी दर्ज की गई है। संबंधित भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"96. अब हम इस निर्णय की शुरुआत में दिए गए अपने दृष्टांत पर लौटेंगे। दृष्टांत में, हमने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में अपराध करता है और प्राथमिकी उस अधिकार क्षेत्र के भीतर दर्ज की गई है जहाँ अपराध किया गया था, लेकिन आरोपी दूसरे राज्य में रहता है तो वह दूसरे राज्य की न्यायालय का रुख कर सकता है और सीमित अवधि की पारगमन अग्रिम जमानत ले सकता है। हमने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त उस राज्य में सक्षम न्यायालय का रुख कर सकता है जहाँ वह रह रहा है या किसी वैध उद्देश्य के लिए जा रहा है और सीमित पारगमन अग्रिम जमानत की राहत ले सकता है, हालांकि प्राथमिकी उस जिले या राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में दायर नहीं की गई है जिसमें अभियुक्त रहता है, या प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। इसके विपरीत, अपराध एक राज्य में किया जा सकता है, प्राथमिकी दूसरे राज्य में दर्ज की जा सकती है और आरोपी तीसरे राज्य में रह सकता है। तीनों राज्यों में से किस न्यायालय में आरोपी अग्रिम जमानत देने के लिए रुख करेगा? हम महसूस करते हैं कि न्याय तक पहुँच की हितकारी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त उस राज्य की न्यायालय से सीमित पारगमन अग्रिम जमानत या सीमित अंतरिम सुरक्षा की मांग कर सकता है जिसमें वह रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में, उस राज्य की सक्षम न्यायालय से "नियमित" या पूर्ण अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है।"*

30. इस तथ्य पर भी ध्यान देना उचित है कि प्रस्तुत किए गए तथ्यों और अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य के *प्रथम दृष्टया* अवलोकन करने पर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क में गुणागुण पाता है कि एस.सी./एस.टी. अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता का कथित सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ समुदायों के लिए अपमानजनक है, लेकिन व्यक्तियों को उसकी जाति या जनजातीय पहचान के आधार पर लक्षित नहीं करता है। इसके अलावा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा जाति के आधार पर किसी विशिष्ट व्यक्ति या समूह को अपमानित करने या नीचा दिखाने का था।

31. यह न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे किसी अपराध के *प्रथम दृष्टया* मौजूदगी का पता लगाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त को कोई अनुचित नुकसान या अपमान न हो। न्यायालयों को इस बात की प्रारंभिक जांच करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि क्या शिकायत या प्राथमिकी में प्रस्तुत तथ्य वास्तव में एस.सी./एस.टी. अधिनियम जैसे प्रासंगिक क़ानून के तहत कथित अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा करते हैं। यह आवश्यक है कि न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करें और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें कि क्या, आरोपों को पढ़ने पर, अपराध के लिए जरूरी तत्व साबित होते हैं या नहीं। यह सुनिश्चित

करता है कि केवल वैध गुणागुण वाले मामले ही आगे बढ़ें, जिससे अभियुक्त को अनुचित अभियोजन से बचाया जा सके।

32. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार और भेदभाव से बचाना है। इस अधिनियम के तहत किसी अपराध को साबित करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कथित अपमान या धमकी पीड़ित की जाति के कारण थी। अभियोजन पक्ष यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त के कथित कार्य शिकायतकर्ता की जाति से प्रेरित थे या जातिवादी टिप्पणी विशेष रूप से उसकी जाति के कारण उसे अपमानित करने के इरादे से की गई थी। ***रमेश चंद्र वैश्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*** **: 2023 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 668** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक अपमान या धमकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध के बराबर नहीं होगी, जब तक कि इस तरह के अपमान या धमकी को पीड़ित पर लक्षित नहीं किया जाता है क्योंकि वह किसी विशेष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।

33. यह कहा जा रहा है कि वर्तमान मामला एक विशिष्ट प्रकृति का है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के उदय से इस तरह के और मामले

न्यायालयों के समक्ष लाए जाने की संभावना है। वर्तमान मामले में, प्राथमिकी की नींव एक इंस्टाग्राम वीडियो है जिसे कथित तौर पर आवेदक द्वारा लोकाधिकारी क्षेत्र में पोस्ट किया गया है। शिकायत का आधार बनने वाली संपूर्ण आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होने के कारण जनता के लिए सुलभ थी। इस न्यायालय को इंस्टाग्राम वीडियो की प्रतिलिपि का गहनता से अध्ययन करने का अवसर मिला है।

34. इस न्यायालय की राय में, वीडियो की प्रतिलिपि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो *प्रथम दृष्टया* इंगित करता हो कि टिप्पणी आवेदक द्वारा केवल इसलिए की गई थी क्योंकि शिकायतकर्ता/नागालैंड के लोग अनुसूचित जाति के हैं। यद्यपि आवेदक के कृत्य से नागालैंड में रहने वाले लोगों की छवि खराब हो सकती है, लेकिन *प्रथम दृष्टया* ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है।

35. इसे ध्यान में रखते हुए, आवेदक को मामले पर उचित क्षेत्रीय और विषय-वस्तु अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के समक्ष उचित उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि नागालैंड में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने सांप्रदायिक घृणा, शत्रुता और वैमनस्य को भड़काने के इरादे से नागालैंड के लोगों से संबंधित एक वीडियो बनाया

और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसलिए, ***प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि के अनुसार जमानत की मांग करने वाला आवेदन नागालैंड में संबंधित न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। यही उचित एवं न्याय और न्यायिक औचित्य के हित में है कि आवेदक को उस न्यायालय में उपलब्ध विधिक उपाय का अनुसरण करने की अनुमति दी जाए।

36. इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को सीमित अवधि के लिए पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) देना उचित समझता है, ताकि याचिकाकर्ता को नागालैंड में उचित विधिक उपायों तक पहुंच की सुविधा मिल सके।

<u>रि.या. (आप.) 1350/2024</u>

37. याचिकाकर्ता प्राथमिकी 69/2023 को अभिखंडित करने की भी मांग किया है, जिसमें उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही शामिल हैं।

38. प्रत्यर्थी सं. 2/नागालैंड राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है, यह तर्क देते हुए कि यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है, क्योंकि वाद हेतुक पूरी तरह से नागालैंड राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ है।

39. इसके प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि, ***नवीनचंद्र एन. मजीठिया बनाम महाराष्ट्र राज्य*** (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित फैसले को देखते हुए, उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है यदि वाद हेतुक का कोई भी हिस्सा उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ है।

40. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों की क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में पहले विधि की जांच करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

> *"226. **रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति** – (1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी राज्यक्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, समुचित मामलों में किसी सरकार को, भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए, उन राज्यक्षेत्रों के भीतर निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण रिट, या उनमें से कोई भी रिट, जारी करने की शक्ति होगी।*
>
> *(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जो उन क्षेत्रों के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, जिसके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतुक, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होता है, भले ही ऐसी सरकार या प्राधिकारी का मुख्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास उन क्षेत्रों के भीतर न हो। (3)-(4)।"*

41. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (2) के अनुसार, निर्विवाद रूप से, उच्च न्यायालय में रिट याचिका की पोषणीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वाद हेतुक, या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हुआ है या नहीं। विधिक भाषा में "वाद हेतुक" शब्द तथ्यों या परिस्थितियों की स्थिति को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को न्यायालय या अधिकरण में राहत पाने का अधिकार देता है। इसमें उन सक्रिय तथ्यों को शामिल किया गया है जो विधिक कार्यवाही दायर करने का आधार बनते हैं और एक पक्षकार को दूसरे के खिलाफ उपाय करने का अधिकार देते हैं। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व किसी न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले को संस्थित करने का आधार है।

42. हालांकि, यह सुस्थापित है कि याचिकाकर्ता का केवल निवास करना या वाद हेतुक के भाग की मौजूदगी ही उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निर्धारित नहीं करता है। उच्च न्यायालय को सावधानीपूर्वक जाँच करनी चाहिए कि महत्वपूर्ण वाद हेतुक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसके अतिरिक्त उसे ***फोरम कन्वेनियंस*** के सिद्धांत पर भी विचार करना चाहिए — यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यह सुनिश्चित करता है कि मामले की सुनवाई सबसे उपयुक्त और सुविधाजनक फोरम में हो। यह

सिद्धांत साक्ष्य के स्थान, गवाहों और इसमें शामिल पक्षकारगण की सुविधा को भी ध्यान में रखता है।

43. यद्यपि वाद हेतुक का एक हिस्सा इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न हो सकता है, न्यायालय को सभी पक्षकारगण के हितों को संतुलित करना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त फोरम है। नागालैंड में इस मामले की सुनवाई की सुविधा, जहाँ कथित अपराध ने नुकसान पहुंचाया, और जहाँ शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, याचिकाकर्ता के लिए अधिक सुविधाजनक है। इसलिए, नागालैंड इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त मंच है।

44. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि *फोरम कन्वेनियंस* की अवधारणा को न्यायालयों द्वारा मान्यता दी गई है और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने के लिए वाद हेतुक को तथ्यों का एक समूह माना गया है जिसे याचिकाकर्ता को अपने पक्ष में निर्णय का हकदार बनाने के लिए साबित करना होगा।

45. यह निर्विवाद है कि कथित अपराध के नागालैंड में महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जिससे न्यायालयों को उनका वैध अधिकार क्षेत्र मिला। इसलिए, इस न्यायालय और नागालैंड के न्यायालय दोनों के पास इस मामले पर न्यायनिर्णयन करने का

अधिकार क्षेत्र होगा। साथ ही, इस न्यायालय को सभी पक्षकारगण की सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कई अधिकार क्षेत्रों के परस्पर विरोधी निर्णयों से बचना चाहिए।

46. विधिक कार्यवाही में, जब समवर्ती अधिकार क्षेत्र कई न्यायालयों में निहित होता है, तो परस्पर विरोधी विचारों की संभावना पैदा होती है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब दो या दो से अधिक न्यायालय किसी विशेष मामले या मुद्दे पर सुनवाई और निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, या तो क्योंकि वाद हेतुक विभिन्न क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में फैला हुआ है या क्योंकि मामले के विभिन्न तत्व, जैसे कि पक्षकार या घटनाएँ, अलग-अलग न्यायालयों से जुड़े हुए हैं। परस्पर विरोधी निर्णयों का मुद्दा तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय विधि की अलग-अलग व्याख्या करती हैं या एकसमान तथ्यों पर अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचती हैं, जिससे असंगत निर्णय होते हैं।

47. इस तरह के टकराव विधिक निश्चितता और न्यायिक अखंडता के सिद्धांतों के लिए हानिकारक हैं। परस्पर विरोधी निर्णयों के परिणामस्वरूप भ्रम पैदा हो सकता है, न्याय के सुव्यवस्थित प्रशासन को बाधित कर सकता है और अधिकारों के समान प्रवर्तन को बाधित कर सकता है। इस तरह के मुद्दों से बचने के लिए, न्यायालय अक्सर *फोरम कन्वेनियंस* के सिद्धांत और न्यायिक सौहार्द के सिद्धांत

पर भरोसा करती हैं। *फोरम कन्वेनियंस* न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को अस्वीकार करने की अनुमति देते हैं जब कोई अन्य फोरम विवाद को हल करने के लिए अधिक उपयुक्त होता है, इस प्रकार समानांतर कार्यवाही और परस्पर विरोधी निर्णयों को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त, *न्यायिक सौहार्द* का सिद्धांत — एकसमान दर्जे की न्यायालयों के बीच आपसी सम्मान —न्यायालयों को न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से साझा अधिकार क्षेत्र के मामलों में, परस्पर विरोधी फैसलों से बचने के लिए प्रोत्साहित करता है।

48. इसके अलावा, याचिकाकर्ता को ***प्रिया इंडोरिया बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*** (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नागालैंड में संबंधित न्यायालय के समक्ष जमानत देने के लिए उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

49. रिट याचिका रि.या.(आप.) 1350/2024 को, इसलिए संबंधित न्यायालय के समक्ष विषयगत प्राथमिकी को अभिखंडित करने की मांग करने वाली उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है।

<u>निष्कर्ष</u>

50. उपरोक्त पर विचार करते हुए, आवेदक को इस आदेश की तारीख से दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए पारगमन जमानत (ट्रांजिट बेल) उसी मुचलका के आधार पर दी जाती है, जो उसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जमा किया था, बशर्ते कि आवेदक ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त न हो जो चल रही जांच में बाधा डाल सकती है और निम्नलिखित शर्तों परः

क. आवेदक संबंधित जाँच अधिकारी द्वारा निर्देशित किए जाने पर जांच में शामिल होगा और सहयोग करेगा।

ख. आवेदक संबंधित न्यायालय की अनुमति के बिना देश की सीमाओं को नहीं छोड़ेगा।

ग. आवेदक गवाहों से संपर्क नहीं करेगा या किसी भी तरह से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

घ. आवेदक अपना मोबाइल नंबर संबंधित जाँच अधिकारी/थानाध्यक्ष को देगा और अपना मोबाइल फोन हर समय चालू रखेगा।

ङ. आवेदक संबंधित जाँच अधिकारी/थानाध्यक्ष को अपने निवास का पता प्रदान करेगा और जाँच अधिकारी/थानाध्यक्ष को सूचित किए बिना उसे नहीं बदलेगा।

च. आवेदक को निर्धारित अवधि के भीतर नागालैंड में उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और आवश्यकतानुसार आगे विधिक सहारा लेने का निर्देश दिया जाता है।

51. वर्तमान आवेदन और याचिका का निपटान उपरोक्त शर्तों पर किया जाता है।

52. इस आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए नई दिल्ली में नागालैंड के आवास आयुक्त (रेजिडेंट कमिश्नर) को भेजी जाएगी।

अमित महाजन, न्या.

21 अक्टूबर, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*